अनुदान संख्या 79 - विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 79 - MINISTRY OF POWER

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged -*				
पूरक	*Supplementary*	*10,00,00*	*10,00,00*	..	*-10,00,00*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*10,00,00*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	21794,52,00	21824,54,00	17704,41,45	-4120,12,55
पूरक	Supplementary	30,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				4120,06,26
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	16,80,00	1944,48,00	1944,17,37	-30,63
पूरक	Supplementary	1927,68,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				30,63

टीका और टिप्पणियां

1 अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* हिस्से में, निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत बचतें हुईंः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
पू.	*S.*	*1000.00*	..	..	..
पु.	*R.*	*-1000.00*			

(I) "सामान्य – अन्य व्यय – अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले से संबंधित भुगतान" के अंतर्गत एक मामले में *₹ 1000.00 लाख* का पूरक *विनियोग*, निधियों के प्रावधान में चूक होने के कारण पूरी तरह से अप्रयुक्त रह गया।

(I) Supplementary *appropriation* of *₹1000.00* lakhs remained wholly unutilized in one case under "General - Other Expenditure - Payment pertaining to international arbitration case" - due to inadvertent provisioning of funds.

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत हिस्से में, कुल बचत (₹412012.55 लाख) दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में प्राप्त ₹3002.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थी और कुल स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत थी।

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹412012.55 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹3002.00 lakhs obtained in December, 2023 and February, 2024 and constituted 19 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

Savings/excess occurred under the following major heads:-

मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	359410.00	..	..	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-359411.00			
मुख्य शीर्ष "2801"	Major Head "2801"				
विद्युत	Power				
मू.	O.	1814329.00	1764645.30	1764639.02	-6.28
पू.	S.	3001.00			
पु.	R.	-52684.70			

(I) पाँच शीर्षों के अंतर्गत ₹359414.00 लाख का प्रावधान (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूर्णतः अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹359411.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” – “पारेषण और वितरण निदेशन और प्रशासन” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:–

(का) “विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण” – ₹238701.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित); तथा

(खा) “सुधार सहबद्ध वितरण योजना” – ₹120710.00 लाख।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों के कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग और शेष राशि के अभ्यर्पण के कारण उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान अप्रयुक्त रह गए।

(II) मुख्य शीर्ष “2801” – “सामान्य – विद्युत अधिनियम, 2003 का प्रशासन – सांविधिक प्राधिकरण” के अंतर्गत ₹30438.10 लाख के मूल प्रावधान को ₹2999.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके ₹33437.10 लाख तक बढ़ाया गया। तथापि, नए कार्यालय के कब्जे में देरी, प्रशासनिक व्यय में कमी, तलों/कार्यालय स्थलों के नवीनीकरण के लिए अनुमोदन में देरी और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण में प्रावधान में कमी के कारण ₹6298.90 लाख (पूरक अनुदान सहित) की बचत हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2801” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचत हुई:–

(का) “पनविद्युत उत्पादन–अन्य व्यय–पाकल दुल परियोजना–जेकेएसपीडीसीएल” – ₹84378.00 लाख की बचत (₹144800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी के कारण हुई।

(I) Provision of ₹359414.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) remained wholly unutilised under five heads; of these ₹359411.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - “Transmission and Distribution Direction and Administration” - under the following heads:-

(A) “Strengthening of Power Systems” - ₹238701.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh); and

(B) “Reform Linked Distribution Scheme”- ₹120710.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2801” - “General - Administration of Electricity Act, 2003 - Statutory Authorities” - the original provision of ₹30438.10 lakhs was augmented to ₹33437.10 lakhs by obtaining supplementary grants of ₹2999.00 lakhs. However, there was a saving of ₹6298.90 lakhs (including supplementary grant) - due to delay in getting possession of new office, less administrative expenses, delay in approval for refurbishment of floors/office spaces and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “2801” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Hydel Generation-Other Expenditure-Pakal Dul Project-JKSPDCL” - saving of ₹84378.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹144800.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “थर्मल पावर जनरेशन” –

(क) “बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन – संचालन और रखरखाव” – ₹1336.14 लाख की बचत (₹1608.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को भूमि अभ्यर्पित करने के कारण एसडीएमसी (दक्षिण दिल्ली नगर निगम) को कम भुगतान के कारण हुई।

(ख) “अन्य व्यय – आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत विनिर्माण क्षेत्र” – ₹8316.36 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विनिर्माण क्षेत्रों के तहत बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के पूरा नहीं होने के कारण हुई।

(गा) “पारेषण और वितरण” –

(क) “निदेशन और प्रशासन – सांविधिक प्राधिकरण (टी एंड डी)” – ₹1376.18 लाख की बचत (₹1992.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दावेदार की ओर से कम मांग के कारण कम प्रशासनिक व्यय के कारण हुई।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– सुधार सहबद्ध वितरण योजना” – ₹77037.10 लाख की बचत (₹204241.32 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एचपीएसईबीएल (हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड) द्वारा निविदा देर से दिए जाने/निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप–योजना – सुधार सहबद्ध वितरण योजना” – ₹19388.12 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹95724.03 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा देने में देरी, बोलीदाताओं द्वारा उच्च उद्धरण के कारण कार्य न देने और

(B) “Thermal Power Generation” -

(a) “Badarpur Thermal Power Station-Operation and Maintenance” - saving of ₹1336.14 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1608.00 lakhs) was due to less payment of charges to SDMC (South Delhi Municipal Corporation) owing to surrender of land to Ministry of Housing and Urban Affairs.

(b) “Other Expenditure - Manufacturing Zones under Atmanirbhar Bharat Package” - saving of ₹8316.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to non-completion of infrastructure projects under Manufacturing Zones.

(C) “Transmission and Distribution”-

(a) “Direction and Administration-Statutory Authorities (T&D)”- saving of ₹1376.18 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1992.70 lakhs) was due to less administrative expenses owing to less demand from claimant.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Reform Linked Distribution Scheme” - saving of ₹77037.10 lakhs (against the sanctioned provision of ₹204241.32 lakhs) was due to late awarding of tender/non-finalisation of tender by HPSEBL (Himachal Pradesh State Electricity Board Limited).

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Reform Linked Distribution Scheme”- saving of ₹19388.12 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹95724.03 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to delay in awarding of tender, non-

बोलीदाताओं द्वारा पुनः निविदा प्रक्रिया में भाग न लेने के कारण हुई।

(घा) "सामान्य" –

(क) "प्रशिक्षण – अनुसंधान और प्रशिक्षण" – ₹1206.49 लाख की बचत (₹3500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सक्षम प्राधिकारी द्वारा नई परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब के कारण हुई।

(ख) "अनुसंधान एवं विकास – अनुसंधान एवं प्रशिक्षण" – ₹6404.86 लाख की बचत (₹20800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत नए अनुसंधान एवं विकास प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(ग) "ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 का प्रशासन– संरक्षण और ऊर्जा दक्षता" – ₹7274.01 लाख की बचत (₹13470.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) "अन्य व्यय– लोहारी नागपाला" – ₹6828.00 लाख की बचत (₹10440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दोनों शीर्षों के अंतर्गत बचत वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती के कारण हुई।

3.(I) उपर्युक्त बचत का आंशिक रूप से (₹165901.97 लाख) उपयोग पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए किया गया, जैसा कि संसद को पहले ही सूचित किया जा चुका है, जबकि मुख्य शीर्ष "2801" – "पारेषण और वितरण" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹3002.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया:–

(का) "निदेशन और प्रशासन" –

awarding of work owing to high quotation by bidders and non-participation by bidders in re-tendering process.

(D) "General"-

(a) "Training - Research and Training"- saving of ₹1206.49 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3500.00 lakhs) was due to deferment in execution of new projects by competent authority.

(b) "Research and Development - Research and Training" - saving of ₹6404.86 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20800.00 lakhs) was due to non-receipt of new R&D proposals under Central Power Research Institute.

(c) "Administration of Energy Conservation Act, 2001 - Conservation and Energy Efficiency" - saving of ₹7274.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹13470.00 lakhs); and

(d) "Other Expenditure - Lohari Nagpala" - saving of ₹6828.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10440.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

3.(I) The above savings were partly (₹165901.97 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of ₹3002.00 lakhs under Major Head "2801"- "Transmission and Distribution" - under the following heads:-

(A) "Direction and Administration" -

(क) "अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्यों में ट्रांसमिशन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण" – ₹111067.16 लाख।

(a) "Strengthening of Transmission System in the States of Arunachal Pradesh and Sikkim"-₹111067.16 lakhs.

(ख) "एनईआर के लिए विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना" – ₹20366.28 लाख।

(b) "Power System Improvement Project for NER" - ₹20366.28 lakhs.

(ग) "पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना हेतु विश्व बैंक अनुदान" – ₹17173.64 लाख।

(c) "World Bank Grant for Power System Improvement Project for NER" - ₹17173.64 lakhs.

(खा) "अन्य व्यय" –

(B) "Other Expenditure" -

(क) "विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण" – ₹914.49 लाख।

(a) "Strengthening of Power Systems"- ₹914.49 lakhs.

(ख) "सुधार सहबद्ध वितरण योजना" – ₹16380.39 लाख।

(b) "Reform Linked Distribution Scheme" - ₹16380.39 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2801" – "सामान्य – अन्य व्यय – अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले से संबंधित भुगतान" के अंतर्गत अधिक राशि से भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹836.40 लाख का अधिक व्यय (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मामले में वकीलों की फीस के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2801" - "General - Other Expenditure - Payment pertaining to international arbitration case"- excess of ₹836.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards lawyers fee in international arbitration case.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग में एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख का प्रावधान पूर्णतः अप्रयुक्त रहा।

4. In the capital section of the grant, provision of ₹100.00 lakhs remained wholly unutilized under one head.